

बोर्ड प्रपत्र-19 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-19" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

23	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा की निम्नाकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
24	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को समूचित करने का दिनांकित किया जायेगा ।
25	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांकित किया जायेगा ।
26	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
27	इसमें दण्डादेश की सख्ती अंकित की जायेगी ।
28	इसमें दण्डादेश का दिनांकित किया जायेगा ।
29	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा ।
30	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी । जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि ।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांकित किया जायेगा ।
32	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
33	इसमें दण्डादेश की सख्ती अंकित की जायेगी ।
34	इसमें दण्डादेश का दिनांकित किया जायेगा ।
35	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा ।
36	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी । जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्ट आदि ।
37	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांकित किया जायेगा ।
38	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
39	इसमें निलम्बन का आदेश सख्ती व दिनांकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः न-39/2012 दिनांकित 30-06-2014
40	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में ।
41	इसमें अपराध सख्ती/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः 234/96, धारा 323/324 आदि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
42	इसमें आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांकित किया जायेगा ।
43	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहाँ सुनवाई हेतु दिनांकित 31-12-2015 नियत है ।
44	इसमें जॉच सगठन का नाम अंकित किया जायेगा । जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि ।
45	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा । उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में ।

46	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
47	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः निलम्बन आदेश दिनांक 30-06-2014 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
48	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बैंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-07-2014

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट में ही तैयार की जाय।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
- 5- उपर्युक्त सूचनायें मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्गदर्शन हेतु हैं। अतः अद्यावधिक सूचना सेवाभिलेखों एवं तकनीकी सेवायें मुख्यालय के दिशा-निर्देश के आधार पर भरी जायेंगी।
- 6- एक पृष्ठ पर एक अभ्यर्थी की ही सूचना अंकित की जायेगी।
- 7- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।